Order sheet [Contd]

case No: BA. -346 / 17

Order or proceeding with signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessayry

05-10-17 12:15 to 12:30 PM आवेदकगण / अभियुक्तगण राजू खां एवं गुलशेर खां द्वारा श्री आर.पी.एस. गुर्जर अधिवक्ता उप०।

राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उप0।

पुलिस थाना मौ के अपराध क्रमांक 233 / 17 अंतर्गत धारा— धारा—34(2) म0प्र0 आबकारी अधिनियम की कैफियत व केस डायरी प्राप्त।

आवेदक / अभियुक्त राजू खां की ओर से उसके भाई तथा आवेदक / अभियुक्त गुलेशर खां की ओर से उसके पुत्र आजाद खां के द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किए गए हैं। आवेदनों एवं शपथपत्रों में यह बताया गया है कि यह आवेदकगण का प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—439 दं0प्र0सं0 का है। इस आवेदन के अतिरिक्त इस प्रकृति का कोई अन्य आवेदन इस न्यायालय, समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया है, न विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

उल्लेखनीय है कि राजू खां एवं गुलशेर खां की ओर से प्रथक—प्रथक जमानत आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। पंरतु दोनों जमानत आवेदन एक ही अपराध से संबंधित होने के कारण उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

दोनों जमानत आवेदनों पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।

आवेदक / अभियुक्तगण की ओर से व्यक्त किया गया है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है उनके विरुद्ध पुलिस द्वारा झूठा मामला विरोधियों की झुठी रिपोर्ट के आधार पर कायम कर लिया उन्हें 🕢 बंदी बना लिया आवेदकगण / अभियुक्तगण का किसी अपराध से कोई संबंध और सरोकार नहीं है। वे निर्दोष हैं। आवेदकगण/अभियुक्तगण से पचास लीटर से अधिक शराब पकडना बताया गया है जबकि अवेदकगण को किसी भी प्रकार की शराब की कोई जानकारी नहीं है। आवेदकराण दिनांक 15.09.17 से निरोध है। उनके द्वारा फरार होने की या अभियोजन को प्रभवित किए जान की आशंका नहीं है। आवेदक गुलेशर खां की ओर से व्यक्त किया गया है कि वह 60 वर्षीय वृद्ध है। वह बीमार रहता है। राजू की ओर से व्यक्त किया गया है वह 35 वर्षीय होकर नवयुवक है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

Order or proceeding with signature of Presiding Officer

राज्य की ओर से दोनों जमानत आवेदनों का घोर विरोध किया गया है तथा जमानत आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफियत व केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार दिनांक 15. 09.17 को आवेदकगण / अभियुक्तगण राजू खां एवं गुलशेर खां के कब्जे से रतवा रोड सज्जन सिंह के मकान के आगे रतवा तरफ से आते समय उनके आधिपत्य से दो कट्टी देशी शराब कुल 70 लीटर कच्ची शराब जप्त की गई है। इस प्रकार शराब की मात्र 50 बल्क लीटर से अधिक है। अतः मामले की परिस्थितियों एवं तथ्यों को देखते हुए आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदकगण के दोनों जमानत आवेदन निरस्त किए गए।

केस डायरी आदेश की प्रति के साथ वापिस की जावे। नतीजा दर्ज करने के बाद यह आदेश पत्रिका एवं जमानत प्रपत्र अभिलेखागार में भेजा जावे।

(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड